भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या2673

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है ।

20 अग्रहायण, 1946 (शक)

आधार कार्ड को पैन और ईपीएफ से जोड़ना

2673.डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधार में नामांकन स्वैच्छिक है अथवा अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आधार को पैन और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से जोड़ना स्वैच्छिक है या अनिवार्य और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पैन तथा ईपीएफ को आधार से जोड़ने की सहमति वापस लेने का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पैन, ईपीएफ और आधार को जोड़ने के संबंध में अदालती मामलों की संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) आधार और पैन को परस्पर जोड़ने का उद्देश्य क्या है;

(च) क्या पुराने आधार कार्ड का क्यूआर कोड, अद्यतन जानकारी के साथ नया आधार कार्ड बनने की स्थिति में भी वैध रहेगा;

(छ) यदि हां, तो क्या पुराने आधार के क्यूआर कोड के लिए ऑनलाइन सत्यापन की आवश्यकता है; और

(ज) क्या मामूली विवरणों को अद्यतन करके एक ही आधार आईडी के कई वैध क्यूआर कोड बनाने संबंधी दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ज):**आधार (वित्तीयऔरअन्यसब्सिडी, लाभऔरसेवाओंकालक्षितवितरण) अधिनियम, 2016 प्रत्येकनिवासीकोआधारसंख्याप्राप्तकरनेकाअधिकारदेताहै। आधारसंख्याप्राप्तकरनेकेलिएनामांकनस्वैच्छिकहै।

आयकरअधिनियम, 1961 केप्रावधानोंकेतहतआधारकोस्थायीखातासंख्या (पैन) सेजोड़नाअनिवार्यहै। ऐसेव्यक्तियोंकोछूटदीगईहैजिनकेपासआधारसंख्यायानामांकनआईडीनहींहैऔरजोअसम, जम्मूऔरकश्मीरऔरमेघालयमेंरहतेहैं, आयकरअधिनियम, 1961 केअनुसारगैर-निवासीहैं, पिछलेवर्षकेदौरानकिसीभीसमय 80 वर्षयाउससेअधिकआयुकेहैंयाभारतकेनागरिकनहींहैं।

आधारकोपैनसेलिंककरनेवालेकिसीभीकरदाताकेलिएकईलाभहैंक्योंकिइससेकरदाताकोअपनारिटर्न ई-फाइलकरनेऔरआयकरविभागकोअन्यसंचारआधारकाउपयोगकरकेदाखिलकरनेमेंमददमिलतीहै। यह विभागकोएकहीव्यक्तिकेमामलेमेंकईपैनको हटाने में भीसक्षम बनाता है, जिससेकरचोरीऔरहोने वाले अन्यदुरुपयोगकोरोकाजासकताहै।

कर्मचारीभविष्यनिधिसंगठन (ईपीएफओ) द्वाराकिसीव्यक्तिकोदिएगएयूनिवर्सलअकाउंटनंबर (यूएएन) कोआधारसेजोड़नाउनलोगोंकेलिएअनिवार्यहैजोकर्मचारीभविष्यनिधिऔरकर्मचारीपेंशनयोजनाकेतहतलाभप्राप्त कररहेहैं, जिसमेंकुछश्रेणियोंकेव्यक्तियोंकोछूटदीगईहै। कर्मचारीभविष्यनिधिऔरविविधप्रावधानअधिनियम, 1952 औरउसकेतहतबनाईगईयोजनाओंकेतहतसहमतिवापसलेनेकाकोईप्रावधाननहींहै।

आधारकोईपीएफसेजोड़नेकेसंबंधमें
अदालतीमामलेहैंतथाआधारकोपैनसेजोड़नेकेसंबंधमेंकोईभीअदालतीमामलालंबितनहींहै।

आधारक्यूआरकोडभारतीयविशिष्टपहचानप्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वाराडिजिटलरूपसेहस्ताक्षरितत्वरितप्रतिक्रियाकोडहै। क्यूआरकोडमेंआधारसंख्याकेअंतिम 4 अंक, नाम, पता, लिंगऔरजन्मतिथिजैसेजनसांख्यिकीयडेटाऔरआधारसंख्याधारककीतस्वीरजैसेडेटाशामिलहैं। आधारसंख्याधारकऑफ़लाइनसत्यापनकेमाध्यमसेअपनीपहचानस्थापितकरनेकेलिएआधारक्यूआरकोडप्रस्तुतकरसकताहै। यहआधारकेविभिन्नरूपों, जैसे, ई-आधार, आधारपत्रऔरआधारपीवीसीकार्डमेंमौजूदहै।

स्कैनकरनेपर, आधारक्यूआरकोड न केवलक्यूआरकोडजनरेशनकेसमयएंबेडेडजानकारीप्रदर्शितकरताहै, बल्किक्यूआरकोडजनरेशनकीतारीखऔरसमयभीप्रदर्शितकरताहै, जिससेयहस्पष्टहोजाताहैकिप्रस्तुतजानकारीकिससमयसेसंबंधितहै। यदिआधारमेंवर्तमानविवरणऑफ़लाइनसत्यापनकेलिएप्रस्तुतकिएजानेहैं, तोक्यूआरकोडकोनएसिरेसेजनरेटकियाजानाचाहिएऔरयूआईडीएआईकेमाईआधारपोर्टलयाएमआधारऐपसेजनरेटकिएगए ई-आधारकेभाग केरूपमेंडाउनलोडकियाजानाचाहिए। स्कैनकरनेपरऐसाक्यूआरकोडवर्तमान/अपडेटकीगईजानकारीकेसाथ-साथवर्तमानतिथिऔरसमयप्रदर्शितकरेगाजिससेप्रस्तुतजानकारीसंबंधितहै।

****